छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद परिसर, अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर
फोन नं. 0771–4066213

क्रमांक / उपार्जन / मक्का निविदा 2014–15 / 2014 / 256 दिनांक ...11... / 07 / 2014

/ / मक्का विक्रय हेतु तृतीय निविदा आमंत्रण / /

निगम द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 के दौरान उपार्जित मक्का का निविदा द्वारा विक्रय किया जाना है। अतः इच्छुक क्रेताओं से उनके लेटरहेड (जिसमें आफरदाता को पूर्ण नाम, फर्म / कंपनी का पता व टेलिफोन नं., आयकर पेन नं. अंकित हो) पर मक्का क्रय करने हेतु बंद लिफाफे में दरें आमंत्रित है। जिलेवार केन्द्रवार संग्रहित मक्का की स्थिति निम्नानुसार है :–

(मात्रा मे.टन में)

क्र.	जिला	प्राप्ति केन्द्र	केन्द्रवार मात्रा	जिलेवार कुल मात्रा
1	बस्तर	जगदलपुर	157.196	157.196
2	दन्तेवाड़ा	गीदम	52.000	52.00
3	कांकेर	कांकेर	114.950	127.600
		चारामा	12.650	
4	कोंडागांव	कोंडागांव	1101.985	1101.985
5	सुकमा	सुकमा	85.200	85.200
6	बालोद	बालोद	90.787	90.787
7	धमतरी	नगरी सिहावा	6.650	6.650
7	गरियाबंद	देवभोग	646.116	962.279
		मैनपुर	316.163	
8	सरगुजा	अंबिकापुर	3.400	3.400
योग			**2587.097**	**2587.097**

मक्का विक्रय हेतु क्रेताओं से आफर बंद लिफाफे में दिनांक **25.07.2014** दिन **शुक्रवार** को **दोपहर 02** बजे बजे छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, हितवाद परिसर, अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर में प्राप्त किए जायेंगे तथा **दि. 25.07.2014 को ही दोपहर 03** बजे गठित समिति एवं आफरदाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय तथा दिनांक के बाद प्राप्त होने वाले आफर को **मान्य नहीं किया** जावेगा।

मक्का विक्रय हेतु शर्ते निम्नानुसार होंगी :–

1. मक्का का विक्रय **"जहां है, जैसा है"** के आधार पर किया जावेगा।
2. मक्का क्रय हेतु प्रस्तुत आफर के साथ प्रति क्विंटल 150 / –(एक सौ पचास मात्र) की दर से अर्नेस्ट मनी राशि का बैंक ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय रायपुर के पक्ष में हो, शेड्यूल बैंक का संलग्न करना अनिवार्य है, अगर राशि RTGS से जमा की जाती है तो ट्रांसफर वाउचर लगाना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त आफर अमान्य कर दिये जायेंगे। दरें स्वीकृत होने पर निर्धारित समय में अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा

-2-

आफर के साथ जमा अमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर दी जायेगी। निविदाकार को प्रति क्विंटल दरे देना होगा।

3. क्रय/विक्रय हेतु निर्धारित लायसेंस अनुज्ञा इत्यादी लेने की जिम्मेदारी आफरदाता की रहेंगी।

4. मक्का क्रय करने के पूर्व क्रेता संग्रहित स्थलों पर स्वयं के खर्चे पर मक्का का निरीक्षण कर सकते हैं। उपरोक्त घोषित मात्रा में वृद्धि या कमी हो सकती है।

5. दरें मय बारदाना एवं शुद्ध वजन हेतु जिले के केन्द्र की पूरी मात्रा के लिए होना चाहिये।

6. मक्का विक्रय के दौरान निगम के द्वारा कोई भी हम्माली एवं परिवहन खर्च वहन नहीं किया जायेगा। अतः क्रेता को स्वयं के व्यय पर आदेशित मक्का का उठाव करना अनिवार्य होगा।

7. प्राप्त उच्चतम दर के आधार पर मक्का का विक्रय किया जावेगा। अतः सफल आफरदाता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर स्वीकृत मात्रा के लिए मक्का मूल्य की शत्प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा कर निगम से मक्का उठाव हेतु अनुबंध करना होगा एवं अनुबंध में दर्शित समय–सीमा के अंदर मक्का का उठाव करना अनिवार्य होगा।

8. अनुबंधं में दर्शित समय–सीमा के भीतर मक्का का उठाव नहीं करने पर जमा राशि निगम पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

9. अनुबंध में दर्शित समय–सीमा के भीतर मक्का का उठाव करना अनिवार्य होगा। यदि अनुबंध में मात्रा उठाव हेतु शेष रह जाता है तो शेष मात्रा हेतु भण्डारण शुल्क एवं ब्याज की राशि जमा करने के पश्चात् मक्का उठाव करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान की जा सकेगी, परन्तु यह समय–सीमा अधिकतम 30 दिवस रहेगी।

10. मक्का विक्रय हेतु वाणिज्यिक कर/स्थानीय कर/अन्य कर लागू होता हो, तो वह अतिरिक्त होगा एवं क्रेता के द्वारा वहन किया जायेगा।

11. मक्का विक्रय में किसी भी प्रकार से उत्पन्न विवाद का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा दिया जायेगा, जो दोनो पक्षों (निगम एवं क्रेता) को मान्य होगा।

12. किसी भी आफर को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।

13. सभी प्रकार के विवादों का न्यायाधिकार क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।

महाप्रबंधक 11/7/14